न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

मुकदमा नम्बरः 232/2022

वादीगण –

1. लिखमाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी मानपुरा तहसील नावां।
2. गोपाल पुत्र कानाराम जाति मेघवाल उम्र 58 वर्ष निवासी मानपुरा तहसील नावां।
3. नानक पुत्र कानाराम जाति मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी मानपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. जीवादेवी पुत्री केशीदेवी पत्नि कानाराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
2. बालुराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
3. सेवाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
4. बंशीलाल पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
5. मांगीदेवी पुत्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
6. शंकरलाल पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
7. शान्तिदेवी पत्नि अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
8. सुगनादेवी पुत्री अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
9. किस्तुरी पुत्री अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
10. मोहनराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
11. मालुराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
12. भंवरी पुत्री रामूराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
13. धारू पुत्र केशर जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
14. मुकेश पुत्र केशर जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
15. भंवरी पत्नि केशर जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
16. सुरेश पुत्र केशर जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
17. शोभाराम पुत्र केशर जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
18. पवनकुमार पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
19. पिंकी पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
20. अनिता पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
21. मीरा पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
22. सन्तोष पत्नि बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
23. शारदा पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
24. मनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील नावां।
25. रामचन्द्र पुत्र हणमान जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील नावां।
26. धर्मेन्द्र पुत्र हणमान जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील नावां।
27. कमला पत्नि हणमान जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील नावां।
28. रामदेव पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील नावां।
29. शाखा प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

30. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा सुरेरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
31. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा मारोठ तहसील नावा जिला नागौर।
32. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भूमिधारी तहसीलदारजी नावां।

दावा बाबत भू–विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता वादीगण
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2,3,4,6,7,10,15,22, 24,25,27,28

निर्णय दिनांक :– 08.09.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ तहसील नावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 160 मीन, 160, 160/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसकी नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस एवं खसरा मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही खानदान के सदस्य है जो स्वर्गीय बींजा पुत्र बिरदा के वंशज व वारिस एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 एक ही खानदान के सदस्य है जो स्वर्गीय कुम्भा पुत्र बिरदा के वंशज एवं वारिसान है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1195/727, 404, 727 कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि मे से 1/24 हिस्से की भूमि वादी लिखमाराम की व 1/24 हिस्से की भूमि वादी गोपालराम की व 1/24 हिस्से की भूमि वादी नानक की व 1/24 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 केशीदेवी की खातेदारी की दर्ज रिकार्ड चली आ रही है इस प्रकार कुल 1/6 हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 केशीदेवी का स्वर्गवास होने के बाद केशी की पुत्री जीवादेवी ने अपने 1/24 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग अपने सगे भाई वादीगण के पक्ष मे दिनाकं 18.03.2013 को कर दिया है जिसका पंजियन उपपंजियक कार्यालय नावा मे कम संख्या 2013000687 पर पंजिबद्ध किया गया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हकत्याग करने के पश्चात उक्त 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण अर्थात 0.7650 हैक्टर भूमि के वादीगण [illegible] बराबर से काबिज खातेदार कृषक चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णि[illegible]/12 हिस्से अर्थात कुल 1/6 हिस्से की अर्थात 0.765[illegible] प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं 1/12 हिस्से–1/12 हिस्से अर्था[illegible] अर्थात 0.7650 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की खातेदारी की स्थित चली आ रही है तथा 1/6 हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 की व 1/6 हिस्से की भूमि संयुक्त रूप से 25 से 27 की व 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 28 की खातेदारी की स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1195/727, 404, 727 कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने आज से काफी वर्षो पुर्व ही अपनी आपसी सहमति सुविधा एवं सौहलियत अनुसार मौके पर भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारा करके अपने अपने हिस्से की भूमि पर सीव माठ कायम करके काबिज होकर काश्त करने लग गये तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुर्वजो का स्वर्गवास होने के पश्चात उसी माफिक भौतिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है तथा माफिक भोतिक बंटवारा खसरा नम्बर 1195/727, 404, 727 कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि मे से खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 कुआ वादीगण एव प्रतिवादीगण का खातेदारी अनुसार शामलाती स्थित चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 404, 727 कुल रकबा 4.54 हैक्टर भूमि मे से एवं वादीगण की 1/6 हिस्से की भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की 1/6 हिस्से की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की 1/6 हिस्से की भूमि अर्थात कुल 1/2 हिस्से की अर्थात 2.27 हैक्टर भूमि संयुक्त रूप से साम्मलाति की स्थित चली आ रही है जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से मार्क ए0 से दर्शित है तथा नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क ए0 स्थान की 2.27 हैक्टर भूमि मे 1/9 हिस्सा वादी लिखमाराम का व 1/9 हिस्सा वादी गोपाल का व 1/9 हिस्सा वादी नानक का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का एव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का स्थित चला आ रहा है तथा मार्क ए0 स्थान की 2.27 हैक्टर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा चारो तरफ सीव माठ कायम की हुई हैं। खसरा नम्बर 404, 727 मे से माफिक भोतिक बंटवारा प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 की कुल 1/6 हिस्से की भूमि अर्थात 0.7568 हैक्टर भूमि जो संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 727 में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे मार्क बी0 स्थान की स्थित चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 25 से 28 की कुल 1/3 हिस्से की 1.53 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 727 मे से नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क सी0 स्थान की 1.2632 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि स्थित चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 25 से 28 संयुक्त रूप से काबिज काश्तकार चले आ रहे है एवं निरन्तर एवं निर्विवाद रूप सें काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की हक हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि आज दिन राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खातेदारी की दर्ज चली आ रही है जबकि वादीगण एव प्रतिवादीगण की उक्त भूमि काफी वर्षो पुर्व से ही मौके पर बटी हुई है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि संयुक्त खातेदारी की दर्ज होने से वादीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओ वंचित होना पड रहा है इसलिए वादीगण संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि का भू विभाजन करवाने के कानुनन मुश्तहक है नजरी नक्शा वाद पत्र का आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

भाग है। वादीगण ने अभी हाल ही मे प्रतिवादीगण को मौके पर भौतिक बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे भू विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इतने दिन तो आवश्वासन देते रहे तथा अभी हाल ही मे प्रतिवादीगण ने भू विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और कहा की बिना भू विभाजन के ही उक्त भूमि को बेचान कर देगे जबकि उक्त भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक प्रवितादीगण को ऐसा करने का तनिक मात्र भी अधिकार प्राप्त नही है यदि प्रतिवादीगण अपनी इस प्रकार की नापाक कार्यवाही मे सफल हो गये तो वादीगण को अपुर्णिय क्षति होगी एवं असुविधा होगी एवं मोंके पर कब्जे को लेकर विवाद होगा तथा मुकदमे बाजी को वढावा मिलेगा इसलिए वादीगण ने भू विभाजन हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया। खातेदार केशी पत्नि काना का स्वर्गवास होने से उसके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व छोटुडी पत्नि मानाराम का स्वर्गवास होने से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उसके वारिस पक्षकार प्रतिवादी है। राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ तहसील नावा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 160 मीन, 160, 160/1 के भाग नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि मे से खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 कुआ वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खातेदारी अनुसार साम्मलाति है एवं खसरा नम्बर 404, 727 मे से माफिक भोतिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की कुल 1/2 हिस्से की अर्थात 2.27 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर भूमि मे संलग्न नजरी नक्शे मे मार्क ए0 स्थान की स्थित चली आ रही है इस 2.27 हैक्टर भूमि मे 1/3 हिस्सा भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर से एव 1/3 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर से एवं 1/3 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बहिस्सा बराबर से काबिज खातेदार कृषक है इस आश्य की भूमि विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण की भूमि की Seperate Holding कायम किये जाने की डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 8, 9, 11 ता 14, 16 ता 21, 23, 26, 32 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी तथा प्रतिवादी संख्या 29, 30, 31 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 जीवादेवी ने वाद पत्र में वर्णित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग दिनांक 18.03.2013 को वादीगण के पक्ष में कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या [illegible]वी द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग दिनांक 21.05.2019 को प्रतिवादी [illegible] के पक्ष में कर दिया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का उक्त भूमि [illegible] इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते [illegible]। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 5 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अपने हक हिस्से की भूमि का हकत्याग कर देने से उनको पक्षकार प्रतिवादी ड्रोप किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने इकवाली जवाव मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकवा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 404 रकवा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकवा 4.29 हैक्टर कुल रकवा 4.59 हैक्टर भूमि में से 1/12 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 1/12 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 काविज खातेदार कृषक है तथा खातेदार छोटुड़ी पत्नि मानाराम की मृत्यु होने पर उनके 1/12 हिस्से की भूमि में से वारिस प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में हकत्याग करने से 1/6 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 काविज खातेदार कृषक है एवं खातेदारी केशी पत्नि कानाराम का स्वर्गवास होने से केशी की जायन्दा पुत्री जीवादेवी द्वारा 1/24 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग वादीगण के पक्ष में कर देने से 1/6 हिस्से की भूमि के वादीगण वहिस्सा वरावर काविज खातेदार है तथा माफिक भौतिक वंटवारा खसरा नम्वर 1195/727 रकवा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ वादीगण एवं प्रतिवादी उत्तरदातागण का खातेदारी अनुसार शामलाती चला आ रहा है तथा खसरा नम्वर 404, 727 में से माफिक भौतिक वंटवारा वादीगण की कुल 1/6 हिस्से की भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की 1/12 हिस्से 1/12 हिस्से अर्थात् कुल 1/6 हिस्से की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 4 की 1/6 हिस्से की भूमि अर्थात् कुल 2.27 हैक्टर भूमि जो संयुक्त रूप से वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से दर्शित है तथा मार्क ए से दर्शित 2.27 हैक्टर भूमि में 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 वालुराम को व 1/6 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 सेवाराम को व 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 4 वंशीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की उक्त 2.27 हैक्टर भूमि की भू–विभाजन एवं सेपरेट हॉल्डिंग कायम किये जाने की डिक्री फरमाई जावें। राजस्व ग्राम मानपुरा के खसरा नम्वर 1195/727 रकवा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 404 रकवा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्वर 727 रकवा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता छोटुडी पत्नि मानाराम के नाम 1/12 हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज चली आ रही है तथा छोटुडी का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2017 को हो जाने पर छोटुड़ी की वारिस मांगीदेवी प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 21.05.2019 को हकत्याग किया जा चुका है परन्तु हकत्याग का नामांतरकरण नहीं होने से छोटुडी पत्नि मानाराम का नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 का नामांतरकरण नहीं होने से एवं छोटुडी का स्वर्गवास होने से खातेदार छोटुडी पत्नि मानाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने की डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10, 15, 22, 23 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने इकवाली जवाव मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि में से कुल 1/6 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 काबिज खातेदार कृषक है तथा माफिक भौतिक बंटवारा खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ वादीगण एवं प्रतिवादी उत्तरदातागण का खातेदारी अनुसार शामलाती चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 404, 727 मे से माफिक भौतिक बंटवारा प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 की कुल 1/6 हिस्से की 0.7568 हैक्टर भूमि जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क बी स्थान पर स्थित चली आ रही है जिसपर प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है तथा मार्क बी से दर्शित 0.7568 हैक्टर भूमि में 1/12 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिस्सा बराबर से व 1/12 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 व 1/12 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 व 1/12 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 एवं 1/12 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 बहिस्सा बराबर से एवं 1/12 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 18 से 23 बहिस्सा बराबर व 1/12 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 24 काबिज खातेदार काश्तकार है इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाकर भू–विभाजनप एवं सेपरेट हॉल्डिंग कायम किये जाने की डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 25, 27, 28 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि में से 1/18 हिस्से–1/18 हिस्से की भूमि के अर्थात 1/6 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 व 1/6 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 28 खातेदार हैं तथा माफिक भौतिक बंटवारा खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ वादीगण एवं प्रतिवादी उत्तरदातागण का खातेदारी अनुसार शामलाती चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 404, 727 मे से माफिक भौतिक बंटवारा प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 की कुल 1/6 हिस्से की भूमि व प्रतिवादी संख्या 28 की 1/6 हिस्से की अर्थात प्रवितादी संख्या 25 से 28 की कुल 1.5132 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 727 में से दक्षिणी तरफ की वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क सी से दर्शित 1.2632 हैक्टर भूमि संयुक्त रूप से कब्जे काश्त की स्थित चली आ रही है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि में व खसरा नम्बर 727 में से दक्षिणी तरफ से मार्क सी से दर्शित 1.2632 हैक्टर भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 25 का व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 26 का व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 27 का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 28 का है इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाकर भू–विभाजन की डिक्री बहक प्रतिवादी उत्तरदातागण फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श पी1 नकल जमाबंदी संवत 2075–2078, प्रदर्श पी2 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी3 वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किये। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी लिखमाराम, पी.डब्ल्यू. 2 वादी गोपाल व पी.डब्ल्यू.3 वादी नानक, पी.डब्ल्यू.4 गवाह मेवाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील नावां, पी.डब्ल्यू. 5 गवाह दुर्गाराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्षकारान बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपने वाद पत्र अनुसार राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 1195/727 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खातेदारी अनुसार शामलाती हैं एवं खसरा नम्बर 404, 727 में से माफिक भौतिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की कुल 1/2 हिस्से की अर्थात 2.27 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर भूमि में संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए स्थान की स्थित चली आ रही है उक्त 2.27 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर से एवं 1/3 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर से एवं 1/3 हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बहिस्सा बराबर से काबिज खातेदार कृषक है इस आशय का भू–विभाजन करवाना चाहते है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब मय कांउटर क्लेम अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 मांगीदेवी ने अपनी माता छोटुडी पत्नि मानाराम का स्वर्गवास होने पर इसके नाम दर्ज 1/12 हिस्से की भूमि में से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में हकत्याग करने पर 1/12 हिस्से की छोटुडी के नाम भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में आयी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 का कुल 1/6 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त एवं खातेदारी होना स्पष्ट है। उक्त अनुसार वादीगण की 1/6 हिस्से की भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की 1/6 हिस्से की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 4 की 1/6 हिस्से की भूमि कुल 2.27 हैक्टर भूमि जो माफिक भौतिक बंटवारा खसरा नम्बर 727 में संयुक्त रूप से वाद पत्र में सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क ए स्थान पर होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10, 15, 22, 24, 25, 27, 28 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम अनुसार खसरा नम्बर 404, 727 में से प्रतिवादी संख्या 6 ता 24 के कब्जे काश्त की 0.7568 हैक्टर भूमि जो वाद पत्र में सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क बी स्थान पर होना साबित है जिसमें 1/12 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिस्सा बराबर से व 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 [illegible] 2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 व 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी [illegible] हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 बहिस्सा बराबर एवं 1/12 हिस्सा [illegible] का प्रतिवादी संख्या 18 से 23 बहिस्सा बराबर से व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 24 काबिज काश्तकार है। माफिक बंटवारा खसरा नम्बर 727 में से नजरी नक्शे में दर्शित सी स्थान की 1.2632 हैक्टर भूमि के व खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि के प्रतिवादी संख्या 25 ता 28 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

कब्जे काश्त की हैं जिसमें 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 25 का व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 26 का व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 27 का व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 28 का होना साबित है। इस प्रकार वादी के वाद पत्र में नजरी नक्शे एवं प्रतिवादीगण के इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि का माफिक वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार भू–विभाजन किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम को स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1195/727 रकवा 0.05 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकवा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 4.59 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 1195/727 रकवा 0.05 हैक्टर गै. मु. कुआ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से खातेदारी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 404, 727 में से वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर भूमि में से ए स्थान की 2.27 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण लिखमाराम, गोपाल, नानक को बहिस्सा बराबर से एवं 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 बालुराम व प्रतिवादी संख्या 3 सेवाराम को बहिस्सा बराबर से एवं 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 बंशीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर भूमि में से वाद पत्र में सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क बी स्थान की 0.7568 हैक्टर भूमि में 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 शंकरलाल, शान्तिदेवी, सुगनादेवी, किस्तुरी को बहिस्सा बराबर से व 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 मोहनराम को व 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 मालुराम को व 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 भंवरी को व 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 धारू, मुकेश, भंवरी, सुरेश, शोभाराम को बहिस्सा बराबर से एवं 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 से 23 पवनकुमार, पिंकी, अनिता, मीरा, सन्तोष, शारदा को बहिस्सा बराबर से व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 24 मानाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 727 रकबा 4.29 हैक्टर भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शित सी स्थान की 1.2632 हैक्टर भूमि का व खसरा नम्बर 404 रकबा 0.25 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 25 रामचन्द्र को व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 26 धर्मेन्द्र को व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 27 कमला को व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 28 रामदेव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदार छोटुडी पत्नि का नाम उक्त सम्पूर्ण भूमि से हटाया जाता है। वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता है। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)